पत्र सं0/ 07 /जी0एस0टी0–ऑडिट/2020–21/ 202052 /वाणिज्य कर।

कार्यालयः–कमिश्नर, वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश।
(जी0एस0टी0–ऑडिट)
लखनऊ:: दिनांक :: 10 मार्च, 2021

समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर,
समस्त एडीशनल कमिश्नर, ग्रेड–2 (वि0अनु0शा0/अपील)
समस्त ज्वाइंट कमिश्नर (टैक्स ऑडिट/कार्यपालक/वि0अनु0शा0/कॉरपोरेट सर्किल),

विषयः–जी0एस0टी0 ऑडिट की प्रक्रिया में जारी परिपत्र सं0 जी0एस0टी0 ऑडिट/2020–21/499/ वाणिज्य कर दिनांक 21.01.2021 का संशोधन टैक्स ऑडिट मैनुअल के समानुरूपण हेतु।

1–परिपत्र के बिन्दु सं0 2.1 पर अंकित "ऑडिट इकाईयों के सहयोगार्थ जोनल एडीशनल कमिश्नर की अध्यक्षता में जोन स्तर पर एक जोनल ऑडिट रिब्यू कमेटी का गठन किया जायेगा" के स्थान पर "ऑडिट इकाईयों के सहयोगार्थ जोनल एडीशनल कमिश्नर की अध्यक्षता में जोन स्तर पर एक जोनल ऑडिट रिब्यू कमेटी एवं ज्वाइंट कमिश्नर टैक्स ऑडिट की अध्यक्षता में एक लोकल ऑडिट रिब्यू कमेटी का गठन किया जायेगा" प्रतिस्थापित किया जाता है।

2– परिपत्र के बिन्दु सं0 2.1.3 पर अंकित "प्रत्येक जोन की जोनल ऑडिट रिब्यू कमेटी के गठन की सूचना दिनांक 30.01.2021 तक मुख्यालय/अधोहस्ताक्षरी को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायी जायेगी" के स्थान पर "प्रत्येक जोन की जोनल ऑडिट रिब्यू कमेटी एवं लोकल ऑडिट रिब्यू कमेटी के गठन की सूचना निर्धारित दिनांक तक मुख्यालय/अधोहस्ताक्षरी को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायी जायेगी" प्रतिस्थापित किया जाता है।

3– परिपत्र के बिन्दु सं0 2.4 के प्रथम पैरा पर अंकित "ज्वाइंट कमिश्नर (टैक्स ऑडिट) द्वारा ———जोनल एडीशनल कमिश्नर द्वारा जोनल समिति के परामर्श के आधार पर ऐसे पंजीकृत व्यक्तियों को चिन्हित किया जायेगा जिनके घोषित व्यापार स्थल पर जाकर विभागीय टीम द्वारा ऑडिट प्रक्रिया संपादित की जायेगी" के स्थान पर "श्रेणी –'क' एवं श्रेणी –'ख' के व्यापारी का ऑडिट सामान्यतः उसके व्यापार स्थल पर किया जायेगा, किन्तु अपरिहार्य स्थिति में लेखा पुस्तकें एवं अभिलेख कार्यालय में मँगा कर ऑडिट संपादित करने का निर्णय ज्वाइंट कमिश्नर (टैक्स ऑडिट) द्वारा लिया जायेगा" प्रतिस्थापित किया जाता है।

परिपत्र के बिन्दु सं0 2.4 के द्वितीय पैरा पर अंकित "किन्तु श्रेणी–'ग' के पंजीकृत व्यक्तियों का ऑडिट विभागीय कार्यालय में ही किया जायेगा, अपरिहार्य होने पर कारणों का उल्लेख करते हुए इस श्रेणी के करदाता के घोषित व्यापार स्थल पर जाकर ऑडिट संपादित करने का सुविचारित प्रस्ताव जोनल एडीशनल कमिश्नर के माध्यम से मुख्यालय प्रेषित किया जायेगा तथा मुख्यालय से अनुमति के उपरान्त ही इस श्रेणी के करदाता के व्यापार स्थल पर जाकर ऑडिट किया जा सकेगा" के स्थान पर" श्रेणी–'ग' के व्यापारियों का ऑडिट, लेखा–पुस्तकें एवं अन्य अभिलेख कार्यालय में मँगा कर, सम्पादित किया जायेगा। व्यापारी के असहयोग की स्थिति में अथवा अन्य किसी विशेष परिस्थिति में व्यापार स्थल पर जाकर ऑडिट सम्पादित किये जाने का निर्णय ज्वाइंट कमिश्नर (टैक्स ऑडिट) द्वारा लिया जायेगा" प्रतिस्थापित किया जाता है।

4– परिपत्र के बिन्दु सं0 2.5 पर अंकित "ज्वाइंट कमिश्नर (टैक्स ऑडिट) द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के आधार पर जोनल एडीशनल कमिश्नर द्वारा चयनित पंजीकृत व्यक्तियों के ऑडिट हेतु जोन में तैनात किसी विभागीय अधिकारी को टीम का प्रभारी नामित करते हुए ऑडिट टीमों का गठन किया जाएगा" के स्थान पर श्रेणी 'क' के व्यापारियों के लिए ज्वाइंट कमिश्नर (टैक्स ऑडिट) के नेतृत्व में जोनल कमेटी द्वारा तथा श्रेणी 'ख' के व्यापारियों के लिए डिप्टी कमिश्नर (टैक्स ऑडिट) के नेतृत्व में एवं श्रेणी 'ग' के व्यापारियों के लिए डिप्टी/असिस्टेन्ट कमिश्नर (टैक्स ऑडिट) के नेतृत्व में लोकल कमेटी द्वारा ऑडिट टीम का गठन किया जायेगा" प्रतिस्थापित किया जाता है।

5– परिपत्र के बिन्दु सं0 2.6 पर अंकित "प्रत्येक ऑडिट माह में चयनित पंजीकृत व्यक्ति को पूर्ववर्ती माह की 05 तारीख तक अनिवार्य रूप से प्रारूप GST ADT-01 में अनिवार्य रूप से अवगत कराया जायेगा" के स्थान पर "ऑडिट के बिन्दुओं के निर्धारण/विस्तृत ऑडिट प्लान तैयार करने एवं टीम गठन के उपरान्त टीम के प्रभारी अधिकारी द्वारा ऑडिट कैलेण्डर में आगामी माह हेतु नियत व्यापारियों के ऑडिट हेतु तिथियों का निर्धारण करते हुए व्यापारी को निर्धारित प्रारूप GST ADT-01 में जारी सूचना ऑडिट प्रारम्भ होने की तिथि से कम से कम 15 दिन पूर्व प्रेषित की जायेगी" प्रतिस्थापित किया जाता है।

6– परिपत्र के बिन्दु सं0 2.7 पर अंकित "ऑडिट के दौरान पाए गये प्रतिकूल तथ्यों से ऑडिट पूर्ण होने के 07 कार्य दिवस के अन्दर ऑडिट टीम के प्रभारी अधिकारी द्वारा संबन्धित पंजीकृत व्यक्ति को अवगत कराया जाएगा तथा पायी गयी विसंगतियों के संबन्ध में अपना उत्तर देने हेतु 07 कार्य दिवस का समय प्रदान किया जाएगा, जिसे समुचित कारण सहित संबन्धित पंजीकृत व्यक्ति के अनुरोध पर अगले 07 कार्य दिवस तक बढ़ाया जा सकेगा" के स्थान पर "ऑडिट सत्यापन पूर्ण हो जाने पर लेखा–पुस्तकों व अन्य अभिलेख जिनकी जॉच की गयी थी तथा ऑडिट वर्कशीट तैयार की गयी थी, के आधार पर एक समेकित ऑडिट नोट तैयार किया जाएगा तथा पाए गए, प्रतिकूल बिन्दुओं एवं तथ्यों से यथा– व्यापारी द्वारा कम अदा किये गये कर अथवा अदा न किये गये कर, त्रुटिपूर्ण क्लेम की गई आई0टी0सी0, गलत प्राप्त रिफण्ड अथवा आरोपणीय अर्थदण्ड को नोटिस में सम्मिलित करते हुए सम्बन्धित व्यापारी को यथा सम्भव सत्यापन पूर्ण होने के 15 दिन के अंदर प्राप्त करा दिया जायेगा। इसके संबन्ध में व्यापारी का स्पष्टीकरण नोटिस प्राप्त कराने से 15 दिन के अन्दर प्राप्त किया जायेगा। यह समयावधि व्यापारी के प्रार्थना–पत्र पर 15 दिन और बढ़ाई जा सकती है" प्रतिस्थापित किया जाता है।

7–परिपत्र के बिन्दु सं0 2.9 पर अंकित "15 कार्यदिवस" के स्थान पर "30 दिन" प्रतिस्थापित किया जाता है।

जिसे उपरोक्तानुसार पढ़ा एवं समझा जाए।

भवदीया,

(अमृता सोनी)
कमिश्नर, वाणिज्य कर
उत्तर प्रदेश।